प्रेस नोट

थाना–बहादुरगढ

दिनांक 10.04.2021

थाना बहादुरगढ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 05 अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 30 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्का (कीमत लगभग 1.50 लाख रू0) एवं शराब की तस्करी करने में प्रयुक्त कार, बाइक व 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

कार्यवाहीः–

जनपद हापुड पुलिस द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में अपमिश्रित/अवैध शराब की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बहादुरगढ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 05 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे 30 पेटी (1500 पव्वे) गैर प्रान्तीय शराब हरियाणा मार्का (कीमत लगभग 1.50 लाख रूपये) एवं शराब की तस्करी करने में प्रयुक्त एक कार हुण्डई एसेन्ट, एक मोटर साईकिल व 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0स0 88/21 धारा 420/467/468/471/482 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः–

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का 20-20 STRONG हरियाणा से सस्ते दामों में खरीद कर आगामी पंचायत चुनाव में डिमाण्ड पर मुनाफा कमाने के लिये महंगे दामा में बेचते हं तथा बरामद शुदा नम्बर प्लेट के बारे में बताया कि हमने इस कार की असली प्लेट उतार कर कार में अन्दर रख दी थी तथा फर्जी नम्बर प्लेट पुलिस व पब्लिक को धोखा देने के लिये कार पर लगा ली थी, जिसका हम पहले भी कई बार उपयोग कर चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

.दीपक पुत्र वीर सिंह निवासी हसुपुर थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड

2.सुमित पुत्र पवन वीर निवासी बाबूगढ थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

3.गौरव पुत्र जगसैन निवासी पचौता थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर ।

4.सचिन पुत्र स्व0 राजेश निवासी खोड़ा गाजियाबाद , स्थायी निवासी गड़ा ,दातागंज जनपद बदायूं।

5.सन्दीप पुत्र नरेन्द्र निवासी गन्दूनगला थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।

आपराधिक इतिहासः–

सचिन पुत्र स्व0 राजेश उपरोक्त–

1.मु0अ0स0 88/21 धारा 420/4672468/471/482 भादवि 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ हापुड़ जनपद हापुड।

2.मु0अ0स0 1228/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना फेस–3 गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0स0 1683/18 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानों/जनपदों/राज्यों से जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

1.30 पेटी शराब हरियाणा मार्का **20-20 STRONG**

2.एक कार हुण्डई एसेन्ट नम्बर **DL 3CCK 5478**

3.एक स्पलेण्डर मोटर साईकिल नम्बर **UP37 N 1131**

4.दो फर्जी नम्बर प्लेट, **HR55 AD 5114**

गिरफ्तार करने वाली टीमः–

1. उ0नि0 संजीव कुमार थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
2. उ0नि0 प्रमोद थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
3. का0 599 अजय कुमार थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
4. का0 506 सुनील कुमार थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।
5. का0 858 अरविन्द कुमार थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।